(27)

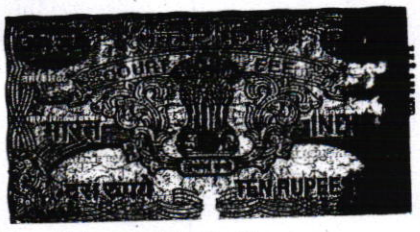






## समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

प्रकरण कमांक – निगरानी–3500/2018/जबलपुर/भू.रा. जिला – जबलपुर

शिवदास आत्मज दीना गौंड
निवासी नया मोहल्ला शहपुरा भिटोनी,
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर ----- आवेदक

आवेदक अभि. श्री वैभव सक्सेना द्वारा जबलपुर कैम्प पर प्रस्तुत 30-5-18

**विरूद्ध**

अजय सिंह राजपूत पिता श्री कृपाल सिंह राजपूत
निवासी म0नं0 225 वार्ड नं0 12,
रामजानकी मंदिर के पास, शहपुरा भिटोनी,
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर ----- अनावेदक

30/5/2018 वैभव सक्सेना

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–21/17–18 में पारित आदेश दिनांक 9–1–18 के विरूद्ध**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

### तथ्य

1– यहकि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य ग्राम ऐंठाखेड़ा प0ह0नं0 28 रा0नि0मं0 जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 213, 182/1, 18/2 रकबा क्रमशः 1.750, 0.770, 0.770 हैक्टर कुल रकबा **3.290** स्थित है । इसके अतिरिक्त आवेदक के पास ग्राम ऐंठाखेड़ा में ही भूमि खसरा नं0 210 एवं 279 कुल रकबा कमशः 1.75 एवं 1.75 कुल रकबा 3.50 और है । भूमि आवेदक के निवास से दूर होने के कारण तथा भूमि की देख रेख सही न कर पाने के कारण तथा बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने एवं भूमि को अधिक उपजाउ बनाने के लिए आवेदक द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नं0 213, 182/1, 18/2 रकबा क्रमशः 1.750, 0.770, 0.770 हैक्टर ... अनावेदक श्री अजयसिंह राजपूत को विक्रय करने हेतु

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/3500/2018/जबलपुर/भू0रा0

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 04/07/18 | प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र0क्र0 24/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 9-1-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति का है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण दिनांक 6-2-17 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया बाद में अदम पैरवी में पारित आदेश को निरस्त करने प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन आलोच्य आदेश दिनांक 9-1-18 द्वारा निरस्त किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधारों पर न करते हुए गुणदोषों पर किया जाये । अत: प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।<br>3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठाखेड़ा प.ह.नं.28 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 182/1 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 182/2 रकबा 0.77 हैक्टर | |

3

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | एवं भूमि खसरा नंबर 213 रकबा 1.750 हैक्टर को अनावेदक/ गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक शिवदास की अर्जित भूमि है शासन द्वारा उसे पट्टे पर या व्यवस्थापन में नहीं दी गई है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि उसके पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 3.50 हैक्टर जमीन शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय हेतु दिए गए कारणों को दृष्टिगत करते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि समाज बंधुओं उचित रकम एवं खरीददार न मिलने से उसके द्वारा गैर आदिम जनजाति के सदस्य/अनावेदक से विक्रय का अनुबंध किया गया है और भूमि का विक्रय किए जाने में उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । चूंकि आवेदक द्वारा अपने निगरानी आवेदन एवं मौखिक तर्कों के दौरान यह कहा गया कि उनके द्वारा भूमि विक्रय हेतु आवेदन अनावेदक को भूमि विक्रय करने के संबंध में दिया गया था परंतु अब उसके द्वारा भूमि क्रय करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है इस कारण आवेदक द्वारा अब आवेदित भूमि को गैर आदिवासी श्री राहुल गाला पिता श्री हरीश कुमार गाला को भूमि विक्रय करने हेतु अनुबंध किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम ऐंठाखेड़ा प.ह.नं.28 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 182/1 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 182/2 रकबा 0.77 हैक्टर | |

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/3500/2018/जबलपुर/भू0रा0

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | एवं भूमि खसरा नं0 213 रकबा 1.750 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री राहुल गाला पिता श्री हरीश कुमार गाला को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदकगण को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।<br>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-1-18 एवं 6-2-17 निरस्त किये जाते हैं । पक्षकार सूचित हों ।<br>( एम. गोपाल रेड्डी )<br>प्रशासकीय सदस्य | |